FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (स

सदा कुंवर .... बनाम .... ग्राम पंचायत लिसाड़िया

किस्म मुकदमा .... अपील नामान्तरण .... नं. .... 05 .... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	से चाही गई तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः सरपंच, व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लिसाड़िया को पुनः स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 5-5-22 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
05.05.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में मय पक्षकार सदा कॅवर के दिनांक 18.04.2022 को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत अपील संख्या 05/2020 उनवानी सदा कॅवर बनाम ग्राम पंचायत लिसाड़िया बाबत नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 01.10.1967 व नामान्तकरण संख्या 353 दिनांक 19.01.1977 को आगे नहीं चलाकर अपील नामान्तकरण को विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया है। जिस पर वकील रेस्पोडेण्टस ने कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित किया है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर अपील नामान्तकरण को इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 05/05/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.09 10:43:46 IST
Reason: SelfAttested